न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 306/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बाबूलाल गोद पुत्र स्व0 फुलाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पल्ली तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– जीयाराम पुत्र स्व0 काछबाराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–6–18 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2595/2018 अनवान जीयाराम बनाम तहसीलदार लोहावट मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 जीयाराम पुत्र काछबाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पल्ली के खसरा नंबर 514, 1237, 705, 401, 402 एवं 409 की क्रमशः 72.06 बीघा, 37.04 बीघा, 30.17 बीघा, 0.09 बिस्वा, 22.09 बीघा तथा 95.01 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता काछबाराम एवं प्रार्थी के काका फूलाराम पि0 रूपाराम विश्नोई सा0 देह के संयुक्त खातेदारी की थी । उक्त सहखातेदार फूलाराम लाऔलाद फोत हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि के विरासत का म्युटेशन संख्या 325 बाबूराम को स्व0 फूलाराम का पुत्र बताते हुए बाबुराम पुत्र फूलाराम के नाम गलत दर्ज कर ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि स्व0 खातेदार फूलाराम लाऔलाद ही फोत हुआ था उसके कोई गोद पुत्र और जायंदा पुत्र नही था इसलिए राजस्व अभिलेख मे की गई उक्त गलत प्रविष्टि को हटाकर प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत वंशावली अनुसार खातेदारान की प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–18 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान की भूमि मे बाबूराम पुत्र फूलाराम 1/2 हिस्सा की प्रविष्टि को दुरस्त करते हुए जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान जो काछबाराम के वारिसान है, का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज किया जाये तथा तहसीलदार लोहावट को तद्नुसार रेकर्ड दुरस्ती

कर रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 20–6–18 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार फूलाराम पिता रूपाराम जाति विश्नोई था जिसके कोई औलाद नही होने से फूलाराम ने अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई काछबाराम के पुत्र बरसींगाराम के लडके वर्तमान अपीलांट बाबूलाल को हिन्दु रिती रिवाज अनुसार गोद ले लिया था । तब से अपीलांट बाबुलाल स्व0 फुलाराम के साथ पुत्रवत रहने लगा तथा उनकी सेवा चाकरी की तथा उक्त खातेदार फुलाराम के देहांत होने पर उसके हिस्से की उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 325 अपीलांट गोद पुत्र होने से वारिस के रूप मे उसके नाम दिनांक 27–10–71 को स्वीकार किया, तब से लगातार अपीलांट का नाम बाबूराम पुत्र फुलाराम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा था परंतु 47 वर्ष की लंबी अवधि के बाद रेस्पो0 जीयाराम ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे केवल तहसीलदार लोहावट को ही पक्षकार बनाया जबकि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार था तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चली आ रही प्रविष्टि को हटाया जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त किया जा सकता है जबकि वर्तमान मामले मे किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नही थी तथा यह भी कथन किया कि यदि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 325 जो कि अपीलांट बाबूलाल को मृत खातेदार फूला का पुत्र होना बताते हुए दिनांक 27–10–71 को स्वीकृत हुआ था तो उक्त म्युटेशन के विरूद्ध आज तक कोई अपील पेश क्यो नही की तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट ने उक्त भूमि के संबंध मे एक नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जो खारीज हो जाने पर इस तथ्य को छुपाते हुए राजस्व लोक अदालत केम्प पल्ली मे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे इस बात की जांच कर तय करना था कि मृत खातेदार फूला के वारिसान कौन है तथा अपीलांट बाबूलाल मृत खातेदार फूला का गोद पुत्र है अथवा नही, ये तमाम तथ्य तथा हक अधिकारो का निर्धारण तो नियमित वाद की कार्यवाही के जरिये ही तय किये जा सकते है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए तथा बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये तथा रेकर्डेड

खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही 47 वर्ष से चले आ रहे खातेदारी अधिकारो को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये समाप्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो क्षेत्राधिकार विहिन एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा जारी वंशावली को आधार मानकर प्रविष्टि बदलने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत को उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार ही नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जिस वंशावली के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न इस न्यायालय की अपील संख्या 223/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 21–6–19 की छायाप्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय को इस न्यायालय हाजा ने निरस्त करते हुए यह विवेचन दिया कि बेचान किया गया या नही, किसके द्वारा किया गया, यदि किया गया तो क्या किया जा सकता था अथवा नही, अपीलाधीन भूमि का कब्जा किसके पास है आदि तमाम बिन्दु नियमित वाद की कार्यवाही मे ही गवाहान के बयान एवं साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया गया था, उसी की भांति इस प्रकरण का भी निर्णय पारित करने का निवेदन किया । हस्तगत प्रकरण विरासतन म्यूटेशन का है जबकि प्रस्तुत निर्णय इससे भिन्न प्रकृति का है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2009 (2) आर.आर.टी. पेज 1018, 2011 (1) आर.आर.टी. पेज 67 तथा आर.आर.डी. 1994 पेज 505 की निर्णय नजीरे पेश की तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किय गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि काछबा एवं फूला पि0 रूपा के संयुक्त खातेदारी की थी । उक्त सहखातेदार फूला का लाऔलाद देहांत संवत 2025 मे हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नही होने से विधिवत द्वितीय श्रेणी के वारिस उसके भाई काछबाराम के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु त्रुटिवशः म्युटेशन संख्या 325 अपीलांट बाबूलाल को मृत खातेदार फूला का पुत्र बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा वर्ष 1971 मे स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन स्वीकृति मे हुई त्रुटि को दुरस्त करवाने के लिए हमने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे आवेदन पत्र पर पटवारी

हल्का, निरीक्षक भू अभिलेख तथा ग्राम पंचायत पल्ली से अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदारान की वंशावली आदि तलब कर उसके आधार पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे राजस्व रेकर्ड मे बाबूराम पुत्र फूलाराम के 1/2 हिस्से के इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त कर अपीलाधीन सम्पूर्ण खसरान की भूमि काछबाराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसमे अपीलांट बाबूलाल भी शामिल है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार ही नेसेसरी पार्टी होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट को बनाया जाकर राजस्व रेकर्ड इन्द्राज मे हुई त्रुटि को निरस्त करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट स्वयं को मृतक खातेदार फूला का गोद पुत्र होना बताता है परंतु अपीलांट ने गोदनामे का कोई दस्तावेज अब तक इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया है जबकि वकील अपीलांट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के सलंग्न अपनी बहस के समर्थन मे अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है तथा वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट बाबूलाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के संबंध मे पुलिस थाना मतोडा मे प्रकरण संख्या 114/2018 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. मे पेश हुआ जिसमे बाद जांच अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय मे चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि सेटलमेंट समाप्ति के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे हुई किसी भी त्रुटि को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर को जानकारी मे आने पर किसी भी समय शुद्ध करने का अधिकार है तथा इसके लिए कोई मयाद नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए जो राजस्व रेकर्ड मे गलत एन्ट्री हुई थी उसे बाद जांच शुद्ध करने को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी हल्का, निरीक्षक भू

अभिलेख, ग्राम पंचायत तथा तहसीलदार लोहावट से टिप्पणी/अभिशंषा प्राप्त करने के बाद जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 की बहस के जवाब मे कथन किया कि पुलिस इनवेस्टिगेशन कोई एडमिशेबल ऐवीडेन्स नही है, इसे तब तक नही देखा जा सकता है, जब तक इस पर फोजदारी कोर्ट कोई निर्णय पारित नही कर दे । इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 अधिवक्ता स्वयं अपनी बहस मे इस बात को स्वीकार करते है कि अधीनस्थ न्यायालय को केवल यही देखना था कि मृतक खातेदार फूला के खातेदारी की भूमि के हकदार कौन है, यह तो दावे से ही तय होना है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रावधानो को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–18 तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं निर्णय नजीरो आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

ग्राम पल्ली के नामांतरकरण मे वर्णित खसरा नंबरान 514, 1237, 705, 401, 402 एवं 409 की कुल 258.06 बीघा भूमि काछबाराम, फूलाराम पिता रूपाराम विश्नोई सा0 देह के संयुक्त खातेदारी की थी । उक्त भूमि के सहखातेदार फूलाराम जो कि लाऔलाद ही फोत हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि का विरासत का म्युटेशन संख्या 325 वर्तमान अपीलांट बाबूराम को स्व0 फूलाराम का पुत्र बताते हुए बाबुराम पुत्र फूलाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण था क्योंकि स्व0 खातेदार फूलारामजी के कोई संतान नही होना अपीलांट स्वयं वर्तमान अपील मीमो मे स्वीकार करते है ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 जीयाराम जो कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार काछबाराम का पुत्र है तथा अपीलांट बाबूलाल जो कि मृतक फूलाराम के भाई काछबाराम के पुत्र बरसिंगाराम का पुत्र है अथार्त अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 दोनो चाचा–भतीजे है तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी मे उल्लेख अनुसार काछबाराम के रेस्पो0 संख्या 1 जीयाराम के अलावा बरसींगाराम, लालूराम, छोटूराम, हरूराम पुत्र थे तथा वे समस्त मृतक खातेदार फूलाराम के द्वितीय श्रेणी के वारिसान जीवित होते हुए केवल बाबूलाल को मृतक फूलाराम का पुत्र बताते हुए जो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 325 सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत किया है, वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा म्युटेशन संख्या 325 मे वर्णित अपीलाधीन भूमि स्व0 फूलाराम के 1/2 हिस्से की प्रविष्टि को दुरस्त करते हुए काछबाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

अपीलांट बाबूलाल ने स्व0 फूलाराम का गोद पुत्र होना बताते हुए गोद पुत्र के रूप

मे वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है परंतु अपीलांट ने मृतक खातेदार फूलाराम द्वारा अपीलांट बाबूलाल को गोद लिये जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है केवल मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट बाबूलाल को स्व0 फूलाराम का गोद पुत्र नही माना जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 जीयाराम पुत्र काछबाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प पल्ली मे विरासत के म्युटेशन संख्या 325 मे खातेदार फूलाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र फूलाराम के नाम की चली आ रही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को दुरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर केम्प में ही पटवारी हल्का पल्ली, आर.आई. पल्ली तथा तहसीलदार लोहावट से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर, सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली से वंशावली प्राप्त कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मात्र गलत धारा का उल्लेख करने के आधार पर खारीज नही किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.20 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: